न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **41/2024** | अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
आदिती राठौड पुत्री भवानीसिंह जाति राजपुत, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाडमेर		1. गजेन्द्रकंवर पत्नी भवानीसिह 2. संग्रामसिंह पुत्र खुमाणसिंह फौत के कायम मुकाम 2.1 मुकेश कंवर पत्नी संग्रामसिह 2.2 रणधीर प्रतापसिंह पुत्र संग्रामसिंह 2.3 ऐश्वर्या राठौड पुत्री संग्रामसिंह 2.4 प्रियवंदा राठौड पुत्री संग्रामसिंह जाति राजपुत, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाडमेर

उपस्थित :– 1. वादीनी अधिवक्ता – श्री हुकमसिंह चौधरी।
2. प्रतिवादीगण अधिवक्ता – श्री देवीलाल कुमावत व जेठाराम कुमावत।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

दिनांक : **28.04.2026**

वादीनी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा बरियाड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 529, 530, 531, 532, 533 रकबा क्रमशः 2.0153, 2.0072, 2.3876, 1.9830, 2.3391 हैक्टेयर के आये हुए है। वादीनी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु परिवार के सदस्य है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है तथा पूर्व पुरूष स्व0 खुमानसिंह के वारिशान है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीनी के पिता व प्रतिवादीनी संख्या 1 के पति स्व0 भवानीसिंह का 1/2 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम के वालिद संग्रामसिंह का 1/2 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीनी के दादा की होने से सहदायिकी सम्पति है जिसमें वादीनी के जन्म से ही अधिकार पैदा हो चुके है। वादीनी अपने पिता की पैतृक आराजी में प्रतिवादीनी संख्या 1 के साथ स्वयं की खातेदारी घोषणा करवाने की विधिक अधिकारीणी है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में वादीनी के पिता का देहांत हुए 01 वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद विरासती नामांतरकरण पारित नहीं होने तथा वादीनी को इस बात का अंदेशा है कि प्रतिवादीगण हल्का पटवारी से मिलावट कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर वादीनी को उनके पैतृक खातेदारी हिस्से से वंचित रखने पर आमादा है। साथ ही प्रतिवादीगण वादीनी को उनके पैतृक खातेदारी हिस्से से महरूम रखने हेतु भूमि का बैचान व अन्य हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः वादीनी द्वारा उक्त वाद अपनी पैतृक खातेदारी भूमि में अंकित खातेदार भवानीसिंह के 1/2 खातेदारी हिस्सा के स्थान पर वादीनी व प्रतिवादीनी संख्या 1 प्रत्येक का 1/4 – 1/4 खातेदारी हिस्से की घोषणा करवाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया गया। वादीनी एवं प्रतिवादीगण द्वारा समाज के मौजिज लोगों की समझाईश तथा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार कर खातेदारी घोषणा हेतु स[illegible] की गई। राजीनामा उभयपक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

पत्रावली में उभयपक्ष [illegible] वादीनी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद को स्वीकार कर राजीनामा म[illegible]अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर अंतिम डिक्री जारी कर[illegible]का निवेदन किया गया। [illegible]वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादीनी अधिवक्ता के बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किये जाने बाबत् पूर्ण सहमति प्रदान की गई। उभयपक्ष उपस्थित पक्षकारान् द्वारा भी राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:57:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

~ ~

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि विवादित आराजी पक्षकारान् की पैतृक एवं अविभाजित खातेदारी है तथा पक्षकार हिन्दू परिवार से होने के कारण हिन्दू विधि से शासित होते है। पैतृक आराजी के संबंध में पक्षकारान् का वादपत्र में सजरा/वंशवृक्ष पेश है। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 2.2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर तथा शेष प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर वाद को स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी राजीनामा अनुसार खातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया है। राजीनामा की ईबारत उभयपक्ष को पढकर सुनाई गई, जिसे उभयपक्ष द्वारा सुन व समझकर सही होना स्वीकार कर तद्नुसार खातेदारी घोषणा किये जाने बाबत् पूर्ण सहमति प्रदान की गई तथा राजीनामा तस्दीक किया गया। अतः उक्त स्थिति में वादीनी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने से राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा बरियाड़ा (नवसृजित ग्राम आदर्श नगर), तहसील शिव के खसरा नम्बर 529, 532 रकबा क्रमशः 2.0153, 1.9830 हैक्टेयर की सम्पूर्ण आराजी व खसरा नम्बर 533 रकबा 2.3391 हैक्टेयर में से रकबा 1.1695 हैक्टेयर भूमि वादीनी व प्रतिवादीनी संख्या 1 की खातेदारी घोषित की जाती है तथा खसरा नम्बर 530, 531 रकबा क्रमशः 2.0072, 2.3876 हैक्टेयर की सम्पूर्ण आराजी व खसरा नम्बर 533 रकबा 2.3391 हैक्टेयर में से रकबा 1.1696 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2.1 से 2.4 की खातेदारी घोषित की जाती है। तहसीलदार शिव को उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय से बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:57:44 IST
Reason: SelfAttested